

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

महत्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
2. "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर / टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा प्रश्न के उत्तर से असम्बन्धित कोई भी शब्द, वाक्य एवं अंक लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यक्तान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के तहत दण्डित कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
4. प्रश्नों की संख्या और उनके अंक "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" में अंकित किये गये हैं।
5. प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी उत्तर निर्धारित जगह में ही लिखें। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
7. फ्लेप पर "उत्तर के माध्यम" के चौखाने में भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक विकल्प को ✓ द्वारा चिह्नित करें तथा उत्तर उसी चयनित भाषा में दीजिये।
8. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो, तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
9. यदि "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी-फटी या अमुदित है, तो शीघ्रताशीघ्र वीक्षक से कह कर उसे बदलवा लें या वीक्षक के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Book"; and not at any other place.
2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992.
4. The number of questions and their marks are indicated in the "Question Paper-cum-Answer Book".
5. The answers of the questions should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
6. The candidate should write the answers in the provided space. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
7. Specify an option of language Hindi or English, by ticking ✓ in box of "Medium of Answer" on the flap and answer in the same opted language.
8. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
9. In case the "Question Paper-cum-Answer Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidate will be liable for that.
10. Possession of any type of electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

FOR EVALUATOR'S USE ONLY

EVALUATION TABLE

Q.NO.	MARKS	Q.NO.	MARKS
1		12	
2		13	
3		14	
4		15	
5		16	
6		17	
7		18	
8		19	
9		20	
10		21	
11			
Examiner's Remarks (if any)			

GRAND TOTAL: IN FIGURES

IN WORDS

SIGNATURE OF EXAMINERS

SIGNATURE OF HEAD EXAMINER

Question No. 8

[03 Marks]

'X', 'Y', 'Z' jointly take a loan of Rs. 21000/- from 'A'. 'Z' becomes insolvent and 'Y' is compelled to pay the entire amount. What amount can 'Y' successfully claim from 'X'? Explain with the help of relevant provisions.

प्रश्न संख्या 8

'अ' से रु 21000/- का ऋण 'क', 'ख', 'ग' संयुक्त रूप से लेते हैं। 'ग' दिवालिया हो जाता है और सम्पूर्ण राशि के भुगतान हेतु 'ख' को बाध्य किया गया। 'ख', 'क' से कितनी राशि की मांग सफलतापूर्वक कर सकता है? सुसंगत प्रावधानों की मदद से स्पष्ट कीजिए।

Question No. 9

[04 Marks]

Write a short note on suit by person dispossessed of immovable property under the Specific Relief Act, 1963.

प्रश्न संख्या 9

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थावर सम्पत्ति से बेकब्जा किए गये व्यक्ति द्वारा वाद पर लघु लेख लिखिए।

[04 Marks]

Question No. 12

"Pardoning power of the President of India is not immune from Judicial Review".
Examine with the help of case law.

प्रश्न संख्या 12

"भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन से निरापद नहीं है"। निर्णित विधि की मदद से परीक्षित कीजिए।

Question No. 13

[04 Marks]



What is the requirement of law to prove a registered will? How a will is to be proved when attesting witness could not be found? Explain with reference to relevant provisions.

प्रश्न संख्या 13

एक पंजीकृत वसीयत को साबित करने के लिए विधि की क्या अपेक्षा है? जब अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चल सके तब एक वसीयत को किस प्रकार साबित करना होगा? सुसंगत प्रावधानों के संदर्भ से स्पष्ट कीजिए।

[06 Marks]



Question No. 14

What is meant by expression "the State" for the purpose of Part III (Fundamental Rights) of the Constitution of India? Explain with relevant case law.

प्रश्न संख्या 14

भारत के संविधान के भाग-3 (मूलभूत अधिकार) के प्रयोजन हेतु अभिव्यक्ति 'राज्य' से क्या आशय है? सुसंगत निर्णित विधि सहित स्पष्ट कीजिए।

Handwritten area with multiple horizontal lines for writing the answer.

Question No. 16

[06 Marks]

What considerations should be kept in mind by the court while dealing with an application seeking condonation of delay under section 5 of The Limitation Act, 1963? Should there be any difference in approach when the application for condonation is filed by the State? Cite relevant case law.

प्रश्न संख्या 16

परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अंतर्गत देरी को क्षमा करने की प्रार्थना के आवेदन को तय करते समय न्यायालय को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? यदि राज्य द्वारा क्षमा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो क्या वहां दृष्टीकोण में कोई भिन्नता होनी चाहिए? सुसंगत निर्णित विधि को उद्धरित कीजिए।

Question No. 19

[06 Marks]

Difference between **any three** of the following –

- a) Primary Evidence and Secondary Evidence
- b) Mesne profit and Restitution
- c) Bailment and Pledge
- d) Res-judicata and estoppel
- e) Counter claim and set off

प्रश्न संख्या 19

निम्नलिखित में से **किन्हीं तीन** में विभेद कीजिए–

- अ) प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य
- ब) मध्यवर्ती लाभ और प्रत्यास्थापना
- स) उपनिधान और गिरवी
- द) प्राङ्गन्याय और विबन्धन
- स) प्रतिदावा और मुजरा


a) Primary Evidence and Secondary Evidence

अ) प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य

(This section contains multiple blank lines for writing.)

b) Mesne profit and Restitution

ब) मध्यवर्ती लाभ और प्रत्यास्थापना



(This section contains multiple blank lines for writing.)

d) Res-judicata and estoppel

द) प्राङ्गन्याय और विबन्धन



e) Counter claim and set off

स) प्रतिदावा और मुजरा



Question No. 20

[10 Marks]

On 15.04.2016, 'A' sold goods for price to 'B'. When demanded money, 'B' sent an e-mail on 20.05.2019 and assured that he would make payment within 02 months. When 'B' did not pay the amount even after 02 months, 'A' filed a suit for recovery of money. 'B' filed a written statement and while disputing the liability also raised a plea that the suit was barred by limitation. Before issues were framed, 'B' moved an application and requested the court to frame a preliminary issue regarding limitation and decide the same before proceeding further. The plaintiff filed a reply to such application and contended that the question of limitation is a mixed question of fact and law and thus such issue cannot be decided as a preliminary issue.

Write an order deciding the application and issue (if required).

प्रश्न संख्या 20

15.04.2016 को, 'अ' धन के लिए माल 'ब' को बेचता है। धन की मांग की जाने पर, 'ब' 20.05.2019 को एक ई-मेल भेजता है और विश्वास दिलाता है कि वह दो माह के भीतर भुगतान कर देगा। जब 'ब' दो माह के पश्चात भी राशि का भुगतान नहीं करता है, 'अ' धन की वसूली हेतु वाद प्रस्तुत करता है। 'ब' लिखित कथन प्रस्तुत करता है और दायित्व को विवादित करते हुए यह तर्क भी उठाता है कि वाद परिसीमा से बाधित है। विवाद्यकों के विरचित करने से पूर्व 'ब' एक आवेदन प्रस्तुत करता है और

Question No. 21**[10 Marks]**

Landlord 'A' files a petition in the rent tribunal for eviction of 'B', his tenant to whom a shop had been let out on oral tenancy. The petition was filed alleging that 'B' has not paid rent of last 06 months and that the shop in question is required for his son who intends to open a garment showroom. The tenant 'B' files his reply and pleads that he has carried out repairs in the premises with a mutual understanding with the landlord that the cost of repairs be adjusted from the monthly rentals and thus the rent as claimed is not due. A plea was also taken that the landlord has another shop in a nearby area and subject shop is not fit for a garment showroom. Both 'A' and 'B' filed affidavits in evidence. Whereafter, the tenant 'B' moved following 02 applications under section 21 of The Rajasthan Rent Control Act, 2001-

1. Issues be framed or points for determination be framed.
2. He be permitted to cross examine 'A' and the persons who have filed affidavits relied on by 'A'.

'A', the landlord opposed the application.

Write an order deciding the applications with support of decided case law.

प्रश्न संख्या 21

भूस्वामी 'अ' किराया प्राधिकरण में एक याचिका 'ब', उसके किरायेदार की बेदखली, जिसको एक दुकान मौखिक किरायेदारी पर किराये पर दी गई थी, हेतु प्रस्तुत करता है। याचिका यह कहते हुए प्रस्तुत की गई थी कि 'ब' ने पिछले छः माह का किराया अदा नहीं किया है और प्रश्नगत दुकान उसे उसके पुत्र के लिए चाहिए, जो परिधान का शोरूम खोलना चाहता है। किराएदार भी उसका जवाब प्रस्तुत करता है और यह अभिवचन करता है कि उसने परिसर में भूस्वामी की इस परस्पर समझ से मरम्मत का कार्य कराया था कि मरम्मत के खर्चों का समायोजन मासिक किराया राशि से होगा और इस प्रकार मांग की गई किराये की राशि देय नहीं है। यह तर्क भी लिया गया कि भूस्वामी के पास आस-पास के क्षेत्र में अन्य दुकान है और प्रश्नगत दुकान परिधान के शोरूम हेतु उपयुक्त नहीं है। दोनों 'अ' व 'ब' ने साक्ष्य में शपथपत्र प्रस्तुत किए। उसके बाद, राजस्थान किराया नियन्त्रण अधिनियम, 2001 की धारा 21 के अंतर्गत निम्नलिखित दो प्रार्थना पत्र किराएदार 'ब' ने प्रस्तुत किए-

1. विवाद्यक विरचित किए जाएं या अवधारणीय बिन्दु बनाए जाएं।
2. उसे 'अ' एवं उन व्यक्तियों से प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दी जाए जिन्होंने 'अ' के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किए।

भूस्वामी 'अ' ने प्रार्थनापत्रों का विरोध किया।

